



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236592
CG-DL-E-15062022-236592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 303]

NEW DELHI TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.085.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 213, 214 और 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(ठक) “चूक का अभिलेख” से अनुसूची के प्ररूप घ में जारी किए गए चूक के प्रमाणन की प्रास्थिति अभिप्रेत है।”
- मूल विनियमों के विनियम 20 में,-
(i) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) लेनदार, यथास्थिति, धारा 7 या धारा 9 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने से पूर्व इनफॉर्मेशन यूटिलिटी के समक्ष चूक की सूचना फाइल करेगा और इनफॉर्मेशन यूटिलिटी उस सूचना के संबंध में, विनियम 21 के अनुसार चूक का अभिलेख जारी करने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही करेगा।”

(ii) उप-विनियम (2) में, “उप-विनियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “यथास्थिति, उप-विनियम (1) या उप-विनियम (1क)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 21 में,-

(i) विनियम के संक्षिप्त शीर्षक “चूक की सूचना” के स्थान पर “चूक का प्रमाणन” रखा जाएगा;

(ii) उप-विनियम (2) के खंड (ग) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) एम.सी.ए.21 तथा भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री(सी.ई.आर.एस.ए.आई.) के पास निधान के रूप में या बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित किसी अन्य कानूनी निधान के पास अभिलिखित है, जिसके न हो सकने पर,”

(iii) उप-विनियम (3) और उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) इनफॉर्मेशन यूटिलिटी, उप-विनियम (2) के अधीन प्रक्रिया पूरी होने पर चूक की सूचना के प्रमाणन की प्रास्थिति निम्नलिखित सारणियों में यथा-उपदर्शित रूप में अभिलिखित करेगी:

सारणी-1

क्रम सं.	ऋणी का प्रत्युत्तर	प्रमाणन की प्रास्थिति	प्रास्थिति का रंग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ऋणी चूक की सूचना की पुष्टि करता है	प्रमाणित	हरा
2	ऋणी चूक की सूचना को विवादित करता है	विवादित	लाल
3	ऋणी, तीन अनुस्मारकों के पश्चात् भी प्रत्युत्तर नहीं देता है	प्रमाणित समझी जानी है	पीला

परन्तु ऐसे वित्तीय लेनदारों की दशा में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं, इनफॉर्मेशन यूटिलिटी, चूक की सूचना के प्रमाणन की प्रास्थिति, नीचे सारणी 2 में यथा-उपदर्शित रूप में अभिलिखित करेगा:

सारणी-2

क्रम सं.	ऋणी का प्रत्युत्तर	प्रमाणन की प्रास्थिति	प्रास्थिति का रंग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(क) ऋणी चूक की सूचना की पुष्टि करता है, या (ख) ऋणी, तीन अनुस्मारकों के पश्चात् भी प्रत्युत्तर नहीं देता है	प्रमाणित	हरा
2	ऋणी चूक की सूचना को विवादित करता है	विवादित	लाल

(4) इनफॉर्मेशन यूटिलिटी, उप-विनियम (3) के अधीन चूक की सूचना की प्रास्थिति अभिलिखित करने के पश्चात्, प्रमाणन की प्रास्थिति को, अनुसूची के प्ररूप घ में चूक का अभिलेख जारी करके, यथा-स्थिति, सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (4) में यथा-उपदर्शित सुसंगत रंग को भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को संसूचित करेगा, जो –

क) ऐसे ऋणी के लेनदार हैं, जिसने किसी ऋण का भुगतान करने में चूक की है;

ख) ऐसे ऋण के पक्षकार और प्रतिभूतिदाता, जिसकी बाबत चूक की सूचना प्राप्त हुई है।”

5. मूल विनियमों के विनियम 41 के उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(8) अनुशासनिक कार्यवाहियों का संचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।”

6. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप ग में, “ऋण” शीर्ष के नीचे पैरा 87 में, खंड ड के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“च. ऋणी द्वारा ऋण की अद्यतन अभिस्वीकृति दर्शाने वाला दस्तावेज़।”

7. मूल विनियमों की अनुसूची में, प्ररूप ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप घ*

चूक का अभिलेख

(इनफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 के विनियम 21 के उप-विनियम (4) के अधीन जारी किया गया)

चूक का अभिलेख, _____ वित्तीय/प्रचालन लेनदार को, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ऋण की चूक की बाबत जारी किया जाता है -

(क) कारपोरेट ऋणी का नाम:

(ख) सुभिन्न ऋण पहचानकर्ता संख्यांक:

(ग) रजिस्ट्रीकृत पता:

(घ) ऋण की कुल रकम:

(ङ) बकाया चूक की रकम:

(च) चूक की तारीख:

(छ) चूक के प्रमाणन की प्रास्थिति:

चूक का फाइल किया जाना (प्रस्तुति आई.डी. से.	कब प्रस्तुत किया गया (ता/मास/वर्ष)	प्रमाणन की प्रास्थिति (प्रमाणित/विवादित/प्रमाणित की गई समझी गई) (रंग कोड: यथास्थिति, हरा या पीला या लाल)	प्रमाणन कब पूरा हुआ (ता/मास/वर्ष)

.....(इनफॉर्मेशन यूटिलिटी का नाम) को चूक का यह अभिलेख जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और उसने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, कोर सेवाओं और अन्य सेवाओं के निष्पादन के लिए तकनीकी मानकों संबंधी दिशानिर्देशों और दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2017 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसार अपने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. संबंधित इनफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा तकनीकी ब्यौरे अंतःस्थापित किए जा सकेंगे
2. संबंधित इनफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा सहायक उपाबंधों की सूची संलग्न की जा सकेगी।

3. इनफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा अन्य ब्यौरे/दस्तावेज़, यदि कोई हैं, संलग्न किए जा सकेंगे।

*(टिप्पण: इस प्ररूप में, ऐसे आवश्यक उपांतरणों सहित, जो इनफॉर्मेशन यूटिलिटी उचित समझे, सूचना जारी की जा सकेगी)

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./122/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 175 में तारीख 13 अप्रैल, 2021 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.072, तारीख 13 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG085.—In exercise of the powers conferred by section 196, 213, 214, 215 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (1), following clause shall be inserted namely: -

“(1a) “record of default” means the status of authentication of default issued in Form D of the Schedule.”

3. In the principal regulations, in regulation 20 —

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(1A) Before filing an application to initiate corporate insolvency resolution process under section 7 or 9, as the case may be, the creditor shall file the information of default, with the information utility and the information utility shall process the information for the purpose of issuing record of default in accordance with regulation 21.”

(ii) in sub-regulation (2), after the words, figures and brackets “sub-regulation (1)”, the words, figures and brackets “or sub-regulation (1A), as the case may be” shall be inserted.

4. In the principal regulations, in regulation 21—

(i) the short title of regulation, “Information of default.” shall be substituted, by “Authentication of default.”;

(ii) in sub-regulation (2), in clause (c), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted namely:-

“(ii) recorded with MCA 21 and the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) registry as repositories or any other statutory repository as approved by the Board, failing which,”

(iii) for sub-regulation (3) and (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

“(3) On completion of the process under sub-regulation (2), the information utility shall record the status of authentication of information of default as indicated in the following Tables:

TABLE-1

<i>Sl. No.</i>	<i>Response of the Debtor</i>	<i>Status of Authentication</i>	<i>Colour of the Status</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Debtor confirms the information of default	Authenticated	Green
2	Debtor disputes the information of default	Disputed	Red
3	Debtor does not respond even after three reminders	Deemed to be Authenticated	Yellow

Provided that in case of financial creditors which are banks included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, the information utilities will record the status of authentication of information of default as indicated in the Table 2 below:

TABLE-2

<i>Sl. No.</i>	<i>Response of the debtor</i>	<i>Status of authentication</i>	<i>Colour of the status</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(a) Debtor confirms the information of default, or (b) Debtor does not respond even after three reminders	Authenticated	Green
2	Debtor disputes the information of default	Disputed	Red

(4) After recording the status of information of default under sub-regulation (3), the information utility shall communicate the status of authentication in physical or electronic form of the relevant colour, as indicated in column (4) of the Tables 1 or 2, as the case may be, by issuing a record of default in Form D of the Schedule, to the registered users who are-

- (a) creditors of the debtor who has defaulted in payment of a debt;
(b) parties and sureties, if any, to the debt in respect of which the information of default has been received.”

5. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, in regulation 41 for sub-regulation (8), the following shall be substituted, namely:-

“(8) The disciplinary proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017.”

6. In the principal regulations, in the Schedule, in Form C, in Para 87 under the heading “Debt” after clause ‘e’, the following clause shall be inserted, namely: -

“f. document showing latest acknowledgment of debt by the debtor.”

7. In the principal regulations, in the Schedule, after Form C, the following Form shall be inserted, namely: -

<p>FORM D* RECORD OF DEFAULT</p> <p><i>(Issued By information utility under sub- regulation (4) of regulation 21 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017)</i></p> <p>This record of default is issued to the Financial/Operational Creditor _____ in respect of the default of debt as per</p>
--

details given below-

- (a) **Name of Corporate Debtor:**
- (b) **Unique Debt Identifier Number:**
- (c) **Registered Address:**
- (d) **Total debt amount:**
- (e) **Default amount remaining:**
- (f) **Date of default:**
- (g) **Status of Authentication of default:**

Filing of Default (Submission ID No.)	Submitted on (DD/MM/YY)	Status of Authentication (Authenticated/Disputed/Deemed to be authenticated) (Colour Code: Green or yellow or Red, as the case may be)	Authentication completed on (DD/MM/YY)
---	----------------------------	--	--

.....(name of the information utility) is authorized to issue this record of default and has accordingly affixed its digital signature, as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, Guidelines for Technical Standards for Performance of Core Services and Other Services and the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2017.

Date:

Digital Signature of the Authorized Signatory

Note:

1. Technical details may be inserted by the respective Information Utility
2. List of supportive annexures may be enclosed by the respective Information Utility
3. Other details/documents, if any, may be enclosed by the Information Utility

**(Note: Information may be issued in this Form with necessary modifications as the information utility deems fit)*

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./122/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2021 published *vide* notification No. IBBI/2021-22/GN/REG072, dated the 13th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 175 on 13th April, 2021.